राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2063/2025

श्योजीराम गेनण

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर सब सेन्टर, डूंगरसी का बास, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण उपकेन्द्र पीपली, डोडीयान, राजसमंद में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के पिता 78 वर्ष के हैं, जो बीमार है। वर्तमान में वह अस्पताल में भर्ती हैं। अपीलार्थी का 3 वर्षीये पुत्र है, जो Neonatology से सम्बन्धित बीमारी से पीडित है, जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है, जिनकी देखभाल जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखा जाए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के

स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)